22.08.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। जवाब स्टेट पूर्व में प्राप्त हो चुका है। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज को सुना गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS